संख्या-41/2016-1253/चौदह-4-2016-522/2013

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक, 31 मई, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में कानपुर प्राणि उद्यान में गंदे नाले के पानी की ओवर फलो की समस्या के निराकरण हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 92.21 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1401/36-टी-46(का0जू0) दिनांक 11.05.2016 तथा संलग्न पत्र सं0-2746/7-4(कानपुर जू0/गंदा नाला) दिनांक 04 मई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कानपुर प्राणि उद्यान में गंदे नाले के पानी की ओवर फलो की समस्या के निराकरण हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 92.21 लाख (रू0 बानबे लाख इक्कीस हजार मात्र) निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60	
पूँजीलेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिड़ियाघर	
03-कानपुर प्राणि उद्यान में गंदे नाले के पानी की ओवर फलो की समस्या के निराकरण हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण(सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	9221
योग-	**9221**

(रू0 बानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ के पत्र 0प्र0सं-0पी-(0जू0का)46-टी-36/1401दिनांक)4-7/2746-0 पत्र संतथा संलग्न 11.05.2016कानपुर जू/0गंदा नालामई 04 दिनांक (, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जाय।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाघ्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

8- यह आदेश वित्त)आय-व्ययक (अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या/2016/1-बी/746-1-दस-2016-2016/231दिनांक 2016 ,मार्च 22 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-1253(1)/चौदह-4-2016-522/2013 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वन संरक्षक/निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016

http://shasanadesh.up.nic.in